सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

रायपुर, दिनांक 27-05-17

क्र. 03–11 / सू.अधि. / 36–17 / 2245(a)

प्रति,

श्री चंदराम कमलेश,
ग्राम– रूमगरा शांति नगर पोस्ट व थाना बालको नगर,
जिला–कोरबा छ.ग.।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।
संदर्भः–आपका पत्र क्र. निरंक दिनांक 25.04.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 36–17, दिनांक 28.04.2017 ।

–::000::–

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के माध्यम से चाही जानकारी, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संकलित कर ली गई है, जो कि कुल 02 पृष्ठों में उपलब्ध है, प्रदान की जाती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरूद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/– मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार हैः–

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)–एक
कार्यालय– मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष–0771–2574883

R. Jha

(राजीव झा)
जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.– मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–2574081

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र.: 03–11/डीजीएम–दो/2154 रायपुर, दिनांक 19-05-17

प्रति,

कार्यपालक निदेशक (उत्पा.),
2X500 मे.वा., म.ते.ता.वि.गृ.,
छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., मड़वा।

विषयः– डब्ल्यू.पी.एस नं. 884/2017– चंदराम कमलेश विरूद्ध छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. एवं अन्य।

–000–

श्री चंदराम कमलेश द्वारा अपने सेवानिवृत्ति लाभों को रोके जाने के कारण डब्ल्यू.पी. एस नं. 884/2017 माननीय उच्च न्यायालय में पंजीकृत किया गया है। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री चंदराम कमलेश के सेवानिवृत्ति लाभों को रोके जाने एवं पेंशन और ग्रेज्यूटी नहीं दिए जाने का कारण पूछा गया है।

उक्त के संबंध में लेख है कि श्री चंदराम कमलेश की पत्नी श्रीमती कुन्ती कमलेश द्वारा, श्री चंदराम कमलेश के विरूद्ध पहली पत्नी के जीवित हरते हुए दूसरी शादी कर सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने के फलस्वरूप माननीय कटघोरा न्यायालय में दण्ड संहिता की धारा 494 पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें श्रीमती कुन्ती कमलेश ने माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि श्री चंदराम को सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाली राशि का 75 प्रतिशित का भुगतान रोका जावे। श्री चंदराम द्वारा अपने सर्विस के दौरान पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने का प्रकरण कदाचरण होने के फलस्वरूप आरोप पत्र जारी किया गया है एवं आरोप की जांच हेतु नियमानुसार विभागीय जांच समिति बनाई गई है। संबद्ध कर्मचारी का आरोप जांच प्रक्रियाधीन होने से उसे सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ की गणना बाधित है।

चूंकि श्रीमती कुन्ती कमलेश द्वारा माननीय कटघोरा न्यायालय में दायर दण्ड संहिता की धारा 494 का निर्णय प्रतिक्षित है, जिसके फलस्वरूप श्री चंदराम कमलेश को सेवानिवृत्ति पश्चात् मिलने वाली राशि के भुगतान की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। कंपनी के नियमानुसार कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के उपरांत भी आबंटित आवास खाली कर वापस नहीं किया गया है। अतः ग्रेज्यूटी का भुगतान प्रभावित हुआ है।

उक्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने वाले जवाब में शामिल की जावे।

सूचना का अधिकार अधि. 2005 के अंतर्गत
जानकारी प्रदत्त - कार्या. मु. अभि. (मा.सं.)
छ.ग. वि.उ. कं. मर्या. रायपुर छ.ग.

मुख्य अभियंता (मा0संसा0)
छ0रा0वि0उ0कं0मर्या0:रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित
मुख्यालय, विद्युत सेवा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

क्र. 03–11 / डीजीएम–2 / 2017 / 416 रायपुर, दिनांक 31.01.2017

प्रति,

श्री चंद्रराम कमलेश,
संयंत्र पर्यवेक्षक श्रेणी–दो,
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (कोल हस्तांतरण संयंत्र),
छ.रा.विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, मड़वा ।

द्वारा– कार्यपालक निदेशक, 2X500 मेवा मड़वा–तेन्दुभाठा ताप विद्युत परि., छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. मड़वा।

विषयः– सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिए जाने वाले पेंशन हितलाभ के संबंध में।

संदर्भः– 01.आरोप पत्र क्रमांक 386 दिनांक 28.01.2017 ।
02.आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 23.01.2017 ।

–::000::–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

पहली पत्नि के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर सिविल सेवा आचरण नियम का उलंघ्घन करने के संबंध में आपको आरोप पत्र दिया गया है। इस संबंध में आपके कथनानुसार प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

अतः माननीय न्यायालय के निर्णय / आदेश पारित होने के पश्चात् ही आपको सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाला अंतिम भुगतान का निराकरण नियमानुसार किया जावेगा।

सूचनार्थ प्रेषित।

सूचना का अधिकार अधि. 2005 के अंतर्गत
जानकारी प्रदत्त - कार्या. मु. अभि. (मा.सं.)
छ.ग. वि.उ. कं. मर्या. रायपुर छ.ग.

मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या.रायपुर

प्रतिलिपि :–

01.कार्यपालक निदेशक (उत्पा.) / (वित्त), म.ते.ता.वि.परि. छ.रा.वि.उत्पा.कं.म.,मड़वा / रायपुर।
02.अधीक्षण अभियंता(मा.संसा.) / (कोल हस्तांतरण संयंत्र), म.ते.ता.वि.परि. छ.रा.वि.उत्पा.कं.म., मड़वा।
03.वरिष्ठ लेखाधिकारी, म.ते.ता.वि.परि. छ.रा.वि.उत्पा.कं.म.,मड़वा।
04.स्टॉफ ऑफीसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक, उत्पादन, रायपुर।

139

श्रीमान जन सुचना अधिकारी
कार्या॰ मुख्य अभियंता मानव संसाधन
छ॰ ग॰ रा॰ वि॰ उत्पा॰ कं॰ मर्यादित रायपुर

विषय :- सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बाबत

संदर्भ :- पत्र क्र॰ 03-11/डी॰जी॰एम-2/2017/416 रायपुर दिनांक 31/01/2017

महोदय

संदर्भित पत्रानुसार मेरा सेवानिवृति पर दिए जानें वाले अंतिम भुगतान का निराकरण आज पर्यंत नहीं किया गया है। साथ ही मुझे पेंशन नहीं दिया जा रहा है।
चुंकि मुझे माननिय न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है

अतः सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कंपनी के किस नियमानुसार एक निर्दोष व्यक्ति का पेंशन एंव सेवानिवृति पश्चात दिए जानें वाला भुगतान का निराकरण नहीं किया गया। उस नियम की जानकारी प्रदान की जाए इस हेतु मेरे द्वारा 10/- का पोस्टल आर्डर क्र॰ 42F 257113 संलग्न है। मेरे द्वारा सुचना का प्राप्ति हेतु अतिरिक्त शुल्क देय होगा

संलग्न (1) पत्र क्र॰ 03-11/डीजीएम कि छायाप्रति
(2) 10/- का पोस्टल आर्डर क्र॰ 42F 257113

दिनांक
25/4/17

प्रार्थी
[signature]
चंदराम कमलेश
ग्राम रुमगरा शांतिनगर
पोस्ट व थाना बालकोनगर
जिला कोरबा (छ॰ग॰)